



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1202]  
No. 1202]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 23, 2011/आषाढ़ 2, 1933  
NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 23, 2011/ASADHA 2, 1933

पर्यावरण और वन मंत्रालय  
(राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण)  
अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जून, 2011

का.आ. 1440(अ).—केन्द्रीय सरकार, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 38उ की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण में निम्नलिखित व्यक्ति को सदस्य के रूप में, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से और 3 सितम्बर, 2012 की समाप्ति तक की अवधि के लिये नियुक्त करती है तथा उक्त प्रयोजन के लिए भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1403(अ), तारीख 4 सितम्बर, 2006 में, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में,—

- (i) क्रम संख्यांक 7 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"7. डॉ. एम. फ़िरोज अहमद —सदस्य"  
आरण्यक, 50, समन्वय पथ, सर्वे,  
बेलटोला, गुवाहाटी-781028,  
असम।

[फा. सं. 15-25/2009-एनटीसीए

डॉ. राजेश गोपाल, अपर प्रधान मुख्य वनपाल (व्याघ्र प्राधिकरण)  
और सदस्य सचिव

टिप्पणी :—राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण गठित करने वाली मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, संख्यांक का.आ. 1403(अ) तारीख 4 सितम्बर, 2006 द्वारा प्रकाशित की गई थी और परचात्वर्ती संशोधन संख्यांक का.आ. 1889(अ), तारीख 2 नवम्बर, 2006 और का.आ. 981(अ), तारीख 15 जून, 2007 द्वारा तथा सं. 15-25/2009-एनटीसीए, तारीख 4 सितम्बर, 2009 (भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में प्रकाशित) और सं. 15-25/2009-एनटीसीए, तारीख 17 सितम्बर, 2010 (भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में प्रकाशित) द्वारा किए गए।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

(National Tiger Conservation Authority)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st June, 2011

S.O. 1440(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 38L of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), the Central Government hereby appoints the following person as Member in the National Tiger Conservation Authority with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette and ending on the 3rd September, 2012 and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O. 1403 (E), dated the 4th September, 2006, namely :—

In the said notification,—

- (i) for serial number 7 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namey :—

"7. Dr. M. Firoz Ahmed —Member";  
AARANYAK, 50, Samanwoy Path,  
Survey, Beltola, Guwahati-781028,  
Assam.

[F.No. 15-25/2009-NTCA]

Dr. RAJESH GOPAL, Addl. Principal Chief Conservator  
of Forests (Project Tiger) and Member-Secy.

Note : The principal notification constituting the National Tiger Conservation Authority was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification number S.O. 1403(E), dated the 4th September, 2006 and subsequently was amended *vide* numbers S.O. 1889(E), dated the 2nd November, 2006, S.O. 981(E), dated the 15th June, 2007, number 15-25/09-NTCA, dated the 4th September, 2009 (published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4) and number 15-25/2009-NTCA, dated 17th September, 2010 (published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4).